न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 145/2022 बउनवानी बी.एस.शर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0 जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
निवासी, 32 ए, राजबिहार कॉलोनी, राजकीय कन्या महाविद्यालय के पास, स0मा0

GCMS No-2022/246

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.12.2022	

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 11.7.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. यह है कि श्रीमान जी के आदेश से तहसील सवाईमाधोपुर मे सत्र 1993 से 2011 तक खसरा नम्बर 254/3116 मे से किन किन को कितनी कितनी भूमि, होटल, पेट्रोल पम्प एवं चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु भूमि किस किस व्यक्ति/संस्था को उपलब्ध करवायी गयी है। नाम एवं पूर्ण पते सहित प्रति उपलब्ध करावे।
2. यह कि यह खसरा नम्बर 254/3116 किस किस्म की श्रेणी मे आता है भूमि किस्म की प्रति उपलब्ध करावे।
3. यह है कि ख0न0 254/3116 मे किन किन व्यक्तियों को उप पंजीयक स0मा0 द्वारा पटटा विलेख उपलब्ध करवाया गया है। जारी किये गये आदेशो से पटटा विलेख की प्रति उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित होकर अवगत कराया कि उसके द्वारा चाही गयी सूचना ख0न0 254/3116 वाके ग्राम आलनपुर रणथम्भोर रोड़ सवाईमाधोपुर से संबंधित है जो अभी तक उपलब्ध नही करवायी गयी है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक एफ. 2(171)सूकाअ/2022/1467 दिनांक 09.12.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 11.7.2022 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 2 मे चाही गयी सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 854 दिनांक 10.8.2022 से अपीलान्ट को अवगत कराया गया कि बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना का पूर्ण विवरण यथा खातेदार का नाम, गांव का नाम, इत्यादि अंकित नही होने तथा बिन्दु संख्या 3 की सूचना उनके कार्यालय से संबंधित नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 11.7.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। दौराने सुनवायी अपीलान्ट द्वारा उक्त ख0न0 ग्राम आलनपुर का होना [illegible] संख्या 1 व 2 की सूचना के लिए उक्त ख0न0 की 1993 से 2011 तक की [illegible] की प्रमाणित प्रति निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। बिन्दु संख्या 3 [illegible] अपील अधिकारी, उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग भर[illegible] की सूचना [illegible] संबंध में इस न्यायालय स्तर पर कोई आदे[illegible] नही है। उक्त निर्दे[illegible] साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:41:21 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर